समाचार

निगम क्षेत्र की हटरी खोलने में मंगलवार के प्रतिबंध को किया गया शिथिल

(शेष साप्ताहिक आम बाजार पूर्व निर्धारित अनुसार खुलेंगे)

कोरबा 18 मई 2022 – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने आज एक आदेश जारी कर नगर निगम कोरबा क्षेत्र में आम बाजार एवं हटरी खोलने में मंगलवार को लगाए गए प्रतिबंध को शिथिल कर दिया है, पूर्व में जारी आदेशानुसार नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत संचालित साप्ताहिक आम बाजार एवं हटरी को कोविड प्रोटोकाल के तहत दिन मंगलवार को प्रतिबंधित किया गया था, पूर्व के उक्त आदेश की उक्त कंडिका को आगामी आदेश तक शिथिल किया गया है अर्थात अब हटरी खुलने में मंगलवार को लगाए गए प्रतिबंध को अब आगामी आदेश तक हटा दिया गया है।